

प्रेस नोट



सराहनीय कार्य दिनांक 04/02/2021 थाना कादीपुर सुलतानपुर

(1). कोतवाली कादीपुर सुलतानपुर द्वारा मु0अ0सं0 196/20 धारा 407 भादवि0 से सम्बन्धित 36 लाख की बीयर अवैध रूप से बेचकर गायब करने वाले वांछित अभियुक्त को 600 ग्राम अवैध गांजे व पल्सर मो0सा0 के साथ गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर महोदय के आदेश के अनुपालन में वांछित/संदिग्ध अभियुक्तों व अवैध शराब/स्वापक के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी कादीपुर महोदय के निर्देशन में दिनांक 04/02/2021 को उ0नि0 यादवेन्द्र सोनकर व उ0नि0 उदल सिंह चौहान व का0 बृजनंदन यादव व का0 जितेन्द्र यादव व का0 शैलेश राजभर के तलाश वांछित अभियुक्त व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन व अवैध शराब/स्वापक अभियान के दौरान अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लिया गया । जिसके सम्बन्ध में पूर्व में मु0अ0सं0 196/20 थाना 407 भादवि0 पंजीकृत है तथा बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 080/21 धारा 8/20 एनडीपीएस पंजीकृत किया गया है । अभियुक्त उपरोक्त के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. लालदेव यादव उर्फ लक्ष्मीशंकर यादव पुत्र रामतीर्थ यादव निवासी मलिकपुर नोनरा थाना कादीपुर जनपद सुलतानपुर

बरामदगी –

अभियुक्त के कब्जे से 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद होना । तथा मो0सा0 को 207 एमबी एकट में सीज की गयी ।

पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार मिश्रा
2. उ0नि0 यादवेन्द्र सोनकर
3. उ0नि0 उदल सिंह चौहान
4. का0 बृजनंदन यादव व का0 शैलेश राजभर
5. का0 जितेन्द्र यादव

प्रभारी निरीक्षक
कोतवाली कादीपुर जनपद सुलतानपुर